

छत्तीसगढ अधिनियम
(क्रमांक 22 सन् 2006)

छत्तीसगढ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006

विषय सूची

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. समिति एवं अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्तियां
4. पथकर तथा शुल्क अधिरोपित करने की शक्तियां
5. लाईसेंस देने की शक्तियां
6. स्थलों का आबंटन
7. नियम बनाने की शक्तियां
8. मेला अधिकारी की आदेश करने की शक्तियां
9. आग लगने पर मेला अधिकारी की शक्तियां
10. दंड
11. अप्रधिकृत निर्माण हटाने की शक्ति
12. देय की वसूली
13. शक्तियों का प्रत्यायोजन
14. मेला क्षेत्र में म्युनिसिपल कार्य

15. छत्तीसगढ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2006)

छत्तीसगढ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006

राजिम में कुंभ मेले में उचित प्रबंधन उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो: -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ राजिम कुंभ मेला अधिनियम, 2006" होगा,
(2) यह ऐसे क्षेत्र पर लागू होगा जो समय-समय पर शासन द्वारा राजपत्र में राजिम कुंभ मेला क्षेत्र अधिसूचित किया जाए,
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. परिभाषाएं इस अधिनियम में जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो: -

- (1) "मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी" से तात्पर्य है, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी,
- (2) "कलेक्टर" से तात्पर्य है, छत्तीसगढ भू राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) के अंतर्गत कलेक्टर,
- (3) "जिला मजिस्ट्रेट" से तात्पर्य है, संबंधित जिले का जिला मजिस्ट्रेट,
- (4) "शासन" से तात्पर्य है, छत्तीसगढ शासन,

- (5) "मेला क्षेत्र" से तात्पर्य है, धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र,
- (6) "मेला निधि" से तात्पर्य है, वह निधि जिसमें मेला अवधि के दौरान मेला क्षेत्र में पथकर, फीस, कर आदि लगाने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली समस्त राशियां, शासन से प्राप्त अनुदान, मेले के लिए प्राप्त दान एवं मेले के लिए प्राप्त अन्य राशियां जमा की जाएंगी,
- (7) "मेला" से तात्पर्य है, प्रतिवर्ष होने वाला राजिम का कुंभ मेला तथा 12 वर्ष में एक बार होने वाला राजिम का महाकुंभ मेला,
- (8) "मेला अधिकारी" से तात्पर्य है, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी,
- (9) "मेला अवधि" से तात्पर्य है, शासन द्वारा राजपत्र में राजिम मेला अवधि के रूप में अधिसूचित अवधि,

3. समिति एवं अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्तियां

- (1) शासन, नीति निर्धारित करने एवं इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करने में जिला मजिस्ट्रेट, मेला अधिकारी तथा स्थानीय समिति को मार्गदर्शन करने एवं सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय समिति नियुक्त करेगी,
- (2) शासन, जिला मजिस्ट्रेट तथा मेला अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए

- स्थानीय समितियां भी नियुक्त कर सकेगी,
- (3) शासन, डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को मेला अधिकारी के कर्तव्यों के पालन हेतु नियुक्त करेगी,
- (4) शासन किसी चिकित्सा अधिकारी को मेला हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त करेगी.

4. पथकर तथा शुल्क मेला अधिकारी, शासन के सामान्य तथा विशेष अधिरोपित करने की आदेशों के अधीन रहते हुए स्थानीय समिति के शक्तियां परामर्श से, यदि यह समिति धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त की गई हो, मेला क्षेत्र के भीतर, मेला अवधि के दौरान -

- (i) ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहन अथवा पशु अथवा विक्रय के लिए सामान लाने वाले व्यक्ति पर पथकर, और
- (ii) ऐसे क्षेत्र के भीतर विक्रय किए जाने वाले पशुओं के पंजीकरण पर शुल्क

अधिरोपित कर सकेगा.

5. लाईसेंस देने की शक्तियां

(1) किसी भी व्यक्ति को मेला अधिकारी से लाईसेंस लिए बिना मेला अवधि में मेला क्षेत्र में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी,

(2) लाईसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया नियमों द्वारा विहित की जा सकेगी,

(3) लाईसेंस का शुल्क तथा शर्तें मेला अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएंगी.

6. स्थलों का आबंटन

- (1) मेला अधिकारी किसी प्रयोजन के लिए जो हिन्दू धर्म के विपरीत न हो, आम नीलामी द्वारा या अन्यथा जैसे वह आवश्यक समझे, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को स्थल आबंटित कर सकेगा, और स्थल के लिए ऐसा किराया निर्धारित कर सकेगा जैसा कि उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो,
- (2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेला अधिकारी विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए स्थल आबंटित कर सकेगा: -
 - (i) हिन्दू धार्मिक सोसाइटी;
 - (ii) सामाजिक एवं अन्य संगठन;
 - (iii) मिठाई की दुकानें एवं भोजनालय;
 - (iv) अधिकारी;
 - (v) बाज़ार;
 - (vi) शौचालय, पेशाबघर एवं घूरा;
 - (vii) स्नान के स्थान;
 - (viii) मनोरंजन;
 - (ix) कृषि, उद्योग एवं अन्य प्रदर्शन एवं निदर्शन;
 - (x) डाक, तार एवं दूरभाष कार्यालय;
 - (xi) चिकित्सा केन्द्र;
 - (xii) विश्राम एवं सुरक्षा केन्द्र;
 - (xiii) दमकल केन्द्र/ अग्निशमन.

7. नियम बनाने की शक्तियां

- (1) शासन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी,
- (2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शासन निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी: -
 - (i) मेला निधि की स्थापना,
 - (ii) मेला निधि से व्यय,
 - (iii) मेला निधि के अधिशेष का उपयोग,
 - (iv) धारा 5 के अंतर्गत लाईसेंस प्रदान की प्रक्रिया,
 - (v) धारा 8 के अंतर्गत मेला अधिकारी एवं शासन द्वारा किए गए आदेशों के प्रकाशन की रीति,
 - (vi) धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त की जाने वाली समितियों की सदस्यता एवं बैठकों की प्रक्रिया,
- (3) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे,
- (4) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम यथासंभव शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

8. मेला अधिकारी की आदेश करने की शक्तियां

- (1) धारा 7 के अंतर्गत बनाए गए नियमों, तथा शासन एवं जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य एवं विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, मेला अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आदेश कर सकेगा,
- (2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव

डाले बिना मेला अधिकारी -

- (i) मेला क्षेत्र में बनाए गए भवनों एवं ढांचों एवं मेला क्षेत्र में लाई गई सामग्री की सुरक्षा हेतु,
- (ii) पानी अथवा आग बुझाने के लिए आवश्यक सामग्री के प्रदाय हेतु;
- (iii) खाना पकाने अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए आग का उपयोग प्रतिबंधित करने हेतु;
- (iv) धारा 5 के अंतर्गत लाईसेंस के लिए शर्तें तथा शुल्क निर्धारित करने हेतु;
- (v) खतरनाक संक्रामक बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति का अनिवार्य पृथक्करण एवं हटाया जाने हेतु;
- (vi) किसी मकान, निवास, भवन, जलस्रोत अथवा संक्रामक बीमारी के किसी अन्य अनुमानित स्रोत के कीटाणुनाशन हेतु;
- (vii) शर्तें जिनके अधीन लोग मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, अथवा बाहर जा सकते हैं, हेतु;
- (viii) किसी खाद्य पदार्थ अथवा मानव उपयोग की किसी अन्य वस्तु को नष्ट किया जाने हेतु;
- (ix) मेला अवधि के दौरान उचित किराए पर किसी सार्वजनिक या निजी भवन और किसी सार्वजनिक या निजी वाहन का अधिग्रहण करने हेतु;

आदेश कर सकेगा,

- (3) मेला अधिकारी द्वारा किए गए आदेश ऐसी रीति से प्रकाशित किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाए,
- (4) कोई भी व्यक्ति मेला अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रकाशित होने के 15 दिन के भीतर शासन के समक्ष आपत्ति कर सकता है,
- (5) शासन आदेश द्वारा स्वप्रेरणा से अथवा उसके समक्ष प्रस्तुत की गई आपत्ति के आधार पर मेला अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश को अपास्त अथवा संशोधित कर सकेगा,
- (6) इस धारा के अंतर्गत मेला अधिकारी के आदेश को अपास्त अथवा संशोधित करने वाला शासन का आदेश भी विहित रीति से प्रकाशित किया जाएगा.

9. आग लगने पर मेला आग लगने की किसी घटना पर मेला अधिकारी अधिकारी की शक्तियां अथवा शासन द्वारा इस हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यदि उसके आंकलन के अनुसार ऐसा करना आग को बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक हो, मेला क्षेत्र में किसी ढांचे को तोड़ने का आदेश दे सकेगा और इस धारा के अंतर्गत सद्भावपूर्ण कार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही अथवा वाद नहीं होगा

10. दंड

कोई व्यक्ति जो: -

- (1) मेला क्षेत्र में कोई अप्राधिकृत निर्माण करता है, या
- (2) मेला क्षेत्र में किसी अप्राधिकृत स्थान का उपयोग शौचालय, पेशाबघर अथवा घूरे के रूप में करता है, या
- (3) धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त किए बिना कोई व्यवसाय या व्यापार करता है अथवा ऐसे लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता है, या
- (4) इस अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, या
- (5) इस अधिनियम के अंतर्गत विधिसम्मत तरीके से जारी किसी आदेश अथवा लिखित निर्देश का उल्लंघन करता है,

तो साधारण कारावास से जो 3 माह तक हो सकेगा, अथवा जुर्माने से जो रुपये एक हजार तक हो सकेगा अथवा दोनों से, और जहां अपराध जारी रहता है, अथवा बार-बार किया जाता है, तो और जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक से जिस दौरान अपराधी के द्वारा अपराध किया जाना प्रमाणित हुआ है प्रतिदिन रु 100/- (सौ रुपये मात्र) तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा.

11. अप्राधिकृत निर्माण
हटाने की शक्ति

मेला अधिकारी मेला क्षेत्र से कोई अप्राधिकृत निर्माण हटा सकेगा, और उसे हटाए जाने का व्यय इस प्रकार का निर्माण करने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा.

12. देय की वसूली

(1) यदि कोई व्यक्ति मेला अधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर धारा 6 के अंतर्गत नियत किराया, या धारा 11 में उल्लिखित व्यय भुगतान करने में असफल रहता है तो मेला अधिकारी ऐसे व्यक्ति से वसूली योग्य राशि दर्शाते हुए एक प्रमाणपत्र कलेक्टर को अग्रेषित कर सकेगा, और कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को आपत्ति करने का अवसर प्रदान करेगा, और सुनवाई एवं की गई आपत्तियों पर विनिश्चय करने के पश्चात् प्रमाणपत्र में अंकित राशि अथवा ऐसी राशि जो वह बकाया पाए भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करेगा और यदि कलेक्टर यह पाता है कि ऐसे व्यक्ति से कोई राशि वसूली योग्य नहीं है, तो वह प्रमाणपत्र अपने निष्कर्ष के साथ मेला अधिकारी को लौटा देगा,

(2) मेला अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी पट्टेदार या लाईसेंसधारी को उसे आबंटित स्थल से बेदखल कर सकेगा.

13. शक्तियों का
प्रत्यायोजन

शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 8 की उपधारा (4), (5) तथा (6) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियां अपने अधीन किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी

14. मेला क्षेत्र में
म्युनिसिपल कार्य

(1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 23), छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (1961 का क्रमांक 37) तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (1994 का क्रमांक 1) में कोई प्रावधान होते हुए भी शासन मेला अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण मेला अवधि या उसके कुछ भाग के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में स्थानीय स्वशासन की किसी संस्था की सभी या कुछ शक्तियां प्रयोग करने के लिए तथा सभी या कुछ कार्य करने के लिए सशक्त कर सकेगी,

(2) जब तक तथा जिस सीमा तक यह शक्तियां इस धारा में सशक्त किए गए अधिकारी में निहित होंगी, तब तक तथा उस सीमा तक स्थानीय स्वशासन की संस्था इस प्रकार अधिसूचित क्षेत्र में उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी, एवं उन कार्यों को नहीं करेगी, और ऐसा क्षेत्र ऐसे स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र से अस्थायी रूप से अलग समझा जाएगा.